न्यायालय मुन्सिफ
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–64 सन् 2019
नागेश्वर सिंह .....वादी
बनाम
अभय सिंह वो अन्य.....प्रतिवादीगण।
दिनांक– 05.11.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 1 ता 4 वो 4 (क) की ओर से आदेश 9 नियत 7 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 09.05.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के उभय पक्ष चाचा–भतीजा है। चाचा नागेश्वर सिंह वादी की मृत्यु के पश्चात् उनके श्राद्ध में प्रतिवादीगण को जानकारी मिली कि उनके चाचा ने एक मुकदमा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर में किया है, तब प्रतिवादी को आश्यर्च हुआ कि उनके चाचा ने किस प्रकार का मुकदमा किया है। दिनांक 06.05.2022 को प्रतिवादी सं0 04 विरेन्द्र सिंह न्यायालय में आए तथा मुकदमा होने की जानकारी अपने अधिवक्ता को दी, तब अधिवक्ता महोदय ने मुकदमा के बारे में मालूम किया तो पता चला कि एक हकियत वाद 64/2019 नागेश्वर सिंह बनाम अभय सिंह अन्य दर्ज हुआ है। जिसमें वादी ने अमलेगाम को मिलाकर बाला–बाला नोटिस का तामिल करा लिया है। साथ ही यह भी पता चला है कि दिनांक 27.09.2020 को प्रकाशन का आदेश के पश्चात् दिनांक 06.11.2019 को प्रकाशन पेपर में हो चुका है। जिसकी जानकारी प्रतिवादी को पहले से नहीं था तथा दिनांक 17.01.2020 को प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित हो चुका है। तथा उक्त मुकदमा 28.02.2020 को एकपक्षीय हेतु लंबित है। मुकदमा की जानकारी नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण ससमय उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण एकपक्षीय आदेश पारित हो चुका है। जिसे रिकॉल करना आवश्यक है। प्रतिवादीगण जानबूझकर कोई गलती नहीं किया है। आदेश दिनांक 17.01.2020 को रिकॉल नहीं होने से प्रतिवादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। अत : निवेदन है कि आदेश दिनांक 17.01.2020 के आदेश को रिकॉल करने की कृपा की जाए ताकि प्रतिवादीगण कंटेस्ट कर अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सके।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 17.10.2022 को दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादीगण ने जिस उनवान वो बयान के साथ प्रस्तावित आवेदन दाखिल किया है वह कानूनन मंजूर होने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी ने जानबूझकर उपरोक्त मुकदमा में हाजिर नहीं हुए हैं।

न्यायालय द्वारा सम्मन, पेपर प्रकाशन इत्यादि अन्य प्रकियाएं होने के बावजूद भी प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण न्यायालय द्वारा तामिला संपुष्ट करते हुए वाद एकपक्षीय नियत चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का आवेदन में सारी बाते बनावटी और झूठा है। प्रतिवादीगण का प्रस्तावित आवेदन को मंजूर नहीं किया जा सकता है। मंजूर होने से वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 09.05.2022 को खर्चा के साथ खारित किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद एकपक्षीय नियत चला आ रहा है। इसी बीच प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय द्वारा पारित अ ादेश दिनांक 17.01.2020 के आदेश को रिकॉल करने हेतु तथा उक्त वाद में बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु दिनांक 09.05.2022 को दाखिल किया है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन तथा पेपर प्रकाशन भी कराया गया है परंतु प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं है। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2020 तामिला संपुष्ट करते हुए वाद एकपक्षीय नियत किया गया है। प्रतिवादीगण उक्त वाद में कंटेस्ट करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन को सम्यक न्याय निर्णयन के लिए स्वीकृत करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण के आवेदन को 1000/—रूपये खर्चा के साथ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2020 को वापस लेते हुए बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 09.05.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादीगण खर्च की राशि वादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक .....89 सी0पी0सी0 के अंतर्गत नियत किया जाता है।

मुन्सिफ
सोनपुर सारण।